प्रभासाक्षी डॉट कॉम द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण

प्रभासाक्षी डॉट कॉम के संपादक श्री नीरज दूबे जी, न्यूज पोर्टल के प्रबंधक एवं संपादकीय टीम के सदस्यगण,

- Online news portal प्रभासाक्षी डॉट कॉम की 20वीं वर्षगांठ पर पोर्टल के समस्त परिवार को हार्दिक बधाई। आपका पोर्टल वर्ष 2001 में उस समय आरंभ हुआ था, जब देश में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभिक कालखंड था। उस समय ज्यादातर online न्यूज अंग्रेजी में ही होते थे। ऐसे में हिन्दी पाठकों के लिए आपका यह प्रयास पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इन बीस वर्षों में आपका पोर्टल पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ है।

- मैंने आपका पोर्टल देखा है। आपके Content में व्यापक रूप से विषयों को कवर करते हुए उसे रुचिकर तथा पठनीय तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। यही आपकी लोकप्रियता का कारण है।

- आज के कार्यक्रम का विषय 'आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा भारत कैसे अपने लोकतंत्र को और मजबूत कर सकता है', बेहद महत्वपूर्ण और सामयिक है।

- साथियों, हमारी आजादी की लड़ाई सत्य, अहिंसा और व्यापक जनभागीदारी पर आधारित थी। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद और समृद्ध भारत का सपना देखा। सामाजिक-आर्थिक न्याय पर आधारित समतामूलक समाज के निर्माण का सपना देखा।

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की आजादी के नायकों और हमारे मनीषियों ने देश के लिए संविधान की रचना की। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधारभूत मूल्यों को शामिल किया गया।

- पिछले 75 वर्षों में हमारे लोकतंत्र की यात्रा गौरवशाली रही है। इसी संदर्भ में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा आजादी का यह अमृत महोत्सव 21वीं सदी के भारत के लिए एक युगांतरकारी आयोजन है।

- यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को उनके गौरवमय अतीत, समृद्ध इतिहास एवं जीवन्त सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाएगा।

- आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें हर क्षण देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा।

- साथियों, लोकतंत्र भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। 13वीं शताब्दी में England में रचित मैग्ना कार्टा को भले ही आधुनिक जगत में लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता हो, परंतु भारत में हमें लोकतंत्र हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास की एक बहुमूल्य विरासत के रूप में मिला है।

- लोकतंत्र हमारी जीवन और कार्यशैली का हिस्सा रहा है। लोकतंत्र हमारा संस्कार भी है और जीवन मूल्य भी है।

- भारत का लोकतंत्र, सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। इसलिए हमारे देश में विभिन्न कालखंडों में चाहे कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, लेकिन आत्मा लोकतंत्र की ही रही।

- आज भारत के लोकतंत्र की शक्ति देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। यही कारण है कि विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए भारत प्रेरणा का आदर्श स्रोत है।

- स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद हमारे लिए पहली चुनौती थी कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए किस प्रकार अपने देशवासियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।

- इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमारे मनीषियों ने अपने समय का सबसे प्रगतिशील एवं विकास उन्मुखी संविधान बनाया। उसमें नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ देश के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा भी निर्धारित की गई।

- संविधान में शासन के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कर्तव्य निर्धारित किए गए एवं उनकी सीमाएं भी निर्दिष्ट की गईं। इससे उनके बीच परस्पर सद्भावपूर्ण संबंध विकसित हुए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए यह अनिवार्य था।

- लोकतंत्र में शासन के तीनों ही अंग जनता की सेवा एवं संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र तभी सशक्त हो सकता है, जब ये तीनों अंग जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करें।

- इसके साथ-साथ, लोकतंत्र में मीडिया का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मीडिया शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण में इसका व्यापक योगदान है। स्वतंत्र, सशक्त और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसलिए एक सकारात्मक और उत्तरदायी मीडिया के रूप में आपकी भूमिका भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

- पिछले सात दशक में हमारी लोकतान्त्रिक यात्रा अत्यंत सजीव और जीवंत रही है और हमने लोकतंत्र को निरंतर सशक्त किया है। हम देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं।

- हमारे लोकतंत्र की शक्ति एवं सशक्त बुनियाद इस बात से भी साबित होती है कि देश में लोक सभा एवं विधान सभा के 400 से भी अधिक आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन चुनावों के बाद सत्ता परिवर्तन पूर्णतः शांतिपूर्ण तथा बिना किसी मन-मुटाव या टकराव के हुए हैं। इन चुनावों में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। इससे पता चलता है कि हमारी जनता सजग भी है, जागरूक भी है और सतर्क भी है।

- संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद एवं विधान मंडलों में अभिव्यक्त होती है। अलग-अलग राजनीतिक दल के सदस्य सदन में विभिन्न विषयों पर अपनी विचारधारा के अनुसार अपनी बात रखते हैं। परंतु उनके प्रयासों के केंद्र में जनता का विकास और उनकी कठिनाइयों-अभावों दूर करना ही होता है।

- संसदीय लोकतंत्र की नींव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही पर टिकी है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। यहाँ नागरिकों की आस्थाओं एवं आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है, उनके कल्याण के लिए कानून बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ सदन में किए जाने वाले विचार विमर्श के माध्यम से कार्यपालिका के अंदर व्यापक जवाबदेही तथा पारदर्शिता तय की जाती है।

- इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि सदन में सभी जनप्रतिनिधि जनता के कल्याण से संबंधित विषय उठायें तथा बिना किसी व्यवधान के चर्चा संवाद के द्वारा नागरिकों की समस्याओं का हल निकालें। एक प्रभावी सदन जनता की आकांक्षा ही नहीं बल्कि उनका अधिकार भी है।

- एक सजग, सतर्क, न्यायप्रिय एवं जिम्मेदार सांसद और संसद निश्चय ही लोकतंत्र को मजबूत करने के सबसे सशक्त माध्यम हैं।

- संसद एवं विधान मंडलों की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए सदस्य सदैव जनता की आवश्यकता और अपेक्षाओं के प्रति सचेत और संवेदनशील रहें और उनकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।

- अभी तक हम लोकतंत्र में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करते रहे हैं। परंतु अब समय आ गया है, जब हम प्रतिनिधित्व से भी आगे बढ़कर भागीदारी की बात करें। लोकतंत्र को सही मायने में सशक्त तभी बनाया

जा सकेगा, जब इसमें युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

- लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की सफलता इसी में है कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी स्वयं को शासन का अंग समझे तथा देश की विकास प्रक्रिया में स्वयं को बराबर का हिस्सेदार समझे।

- हमने लोकतंत्र को Grassroot Level तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। अब लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों एवं Autonomous Council जैसी जमीनी स्तर की संस्थाओं का सशक्तीकरण बेहद आवश्यक है।

- लोकतंत्र सफल एवं सशक्त तभी हो सकता है जब प्रशासन के साथ साथ हमारी गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, समाजसेवी संस्थाएं, हमारी मीडिया, इत्यादि जिम्मेदारी तथा राष्ट्रसेवा की भावना से कार्य करें तथा नागरिकों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करें।

- कोरोना काल में भी हमने देखा कि किस प्रकार सरकार के साथ-साथ देश के हर एक व्यक्ति ने, हर एक संस्था ने सामूहिक भावना के साथ अपना योगदान दिया तथा अपने आस पास लोगों की मदद करने का कार्य किया।

- मीडिया ने भी जनता को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए हम कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर सके।

- यदि हममें से हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने दायित्वों को पूर्ण करे तो लोकतंत्र की शक्ति और बढ़ेगी तथा हम एक समृद्ध, शांतिपूर्ण एवं शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे।

- अंत में, आप सभी को दीपावली एवं आगामी त्योहारों की हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में सुख समृद्धि और उल्लास आए। आपका जीवन सुखमय रहे। आपके पोर्टल की 20वीं वर्षगांठ पर आपको पुनः बधाई।

जय हिन्द।